न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 124/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

नुनु ठाकुर ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

मुकेश ठाकुर एवं अन्य ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

22-10-24

प्रथम पक्ष के आवेदन पर थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले विवादग्रस्त भूमि पर दिनांक 24.08.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत किया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- मंदरामों, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह	
(1) खाता नं0- 125, प्लॉट नं0- 1053, रकबा- 4 डी0	
चौहद्दी : उ0- दर्शन गोप, बादहुँ गुलो गोप	द0- खोशन राणा
पू0- रास्ता ,	प0- बंशी गोप
(2) खाता नं0- 125, प्लॉट नं0- 1053, रकबा- $^1/_6$ डी0	
चौहद्दी : उ0- दर्शन गोप,	द0- खोशन राणा
पू0- रास्ता,	प0- वंशी गोप

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष के अनुसार उक्त जमीन उन्हें निबंधित विक्रयपत्र 4407 दिनांक 03.11.1998 द्वारा हासिल है जिसकी जमाबन्दी आवेदक प्रथम पक्ष के नाम से अंचल कार्यालय सरिया के मांग पंजी-II के पृष्ठ सं0- 134 Volume No. 18 पर कायम है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कब्जा करने की नीयत से जबरन नींव खुदाई करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। अपने दावे के समर्थन में प्रथम पक्ष के द्वारा एक online मालगुजारी रसीद की छायाप्रति, online पंजी-II की छायाप्रति, केवाला सं0- 4407 की सत्यापित नकल की प्रति, केवाला सं0- 4406 की सत्यापित नकल की प्रति, एक नजरी नक्शा दाखिल करते है।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि केवाला दस्तावेज सं0- 4498 तथा 4499 द्वारा उन्हें उक्त भूमि हासिल है। भूमि की जमाबन्दी

द्वितीय पक्ष के पिता छोटु ठाकुर के नाम से अंचल कार्यालय सरिया के मांग पंजी-II के भाग सं0- 18 पृष्ठ सं0- 133 में छोटु ठाकुर के नाम से दर्ज है। साथ ही द्वितीय पक्ष दूसरे केवाला का उल्लेख करते हुए कहते है कि उनकी माता के नाम से हासिल है जिसकी जमाबन्दी अंचल कार्यालय सरिया के मांग पंजी-II के भाग सं0- 18 पृष्ठ सं0- 135 में टुकनी देवी वगैरह के नाम से कायम है। साथ ही द्वितीय पक्ष यह बताते है कि उभय पक्ष के मध्य सक्षम न्यायालय गिरिडीह में Title Suit 82/2013 चल रहा है। अतः वाद की कार्यवाई समाप्त करने का भी आग्रह करते है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में केवाला दस्तावेज 4408 तथा 4409 की छायाप्रति, एक लगान रसीद की छायाप्रति, एक अन्य केवाला की छायाप्रति, एक अन्य लगान रसीद की छायाप्रति तथा Title Suit 82/2013 के आवेदन की प्रति भी दाखिल करते है।

उपरोक्त कागजातों के अवलोकन / अध्ययन तथा विवेचन से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उभय पक्ष के मध्य स्वत्व संबंधी विवाद है। चुँकि सक्षम न्यायालय में उभय पक्ष के मध्य Title Suit विचाराधीन है अतः प्रस्तुत वाद में किसी पक्ष के हित में या विरूद्ध कोई अंतिम आदेश पारित करना न्याायोचित नहीं है।

उपरोक्त आलोक में वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है Title Suit में न्यायनिर्णय आने तक उभय पक्ष शांति बनाए रखेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

22-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

22-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.09 12:09:52 +05:30
Location: 192.168.1.2